न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 79/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/269

अनवान

1. श्री गांगा पिता कना गाडरी निवासी लालावास पलानाखुर्द तहसील मावली।
.....वादी

बनाम्

1. श्री डालु पिता भेरा गाडरी निवासी लालावास पलानाखुर्द तहसील मावली।
.....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री सुखदेव सिंह उज्जवल, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 2029, 2052, 2489, 2585, 2615, 2616, 2617, 2721, 2729, 2730, 2760, 2761 किता 12 कुल रकबा 1.6511 हेक्टेयर उपरोक्त कृषि भूमिया वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे मुझ वादी के नाम स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से दर्ज है।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मैं वादी खातेदार काश्तकार हूं और मैं वादी उक्त कृषि भूमि पर अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरनतर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिससे प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है, न उक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार है, न ही वाद वर्णित कृषि भूमि के आस–पास प्रतिवादी की कोई कृषि भूमि हैं लेकिन प्रतिवादी ताकत के बल पर नाजायज रूप से मुझ वादी के कब्जे काश्त की जमीन को हडपने की नियत से मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमादा हो रहा है और मुझ वादी को नाजायज तरीके से मेरे कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा इसी नियत से प्रतिवादी अपने आपराधिक सहयोगियों की मदद से मेरे खाते व कब्जे की कृषि भूमि के उपरोक्त मार्ग में निरन्तर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है जबकि प्रतिवादी का मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि में कोई हक अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:35 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी को उक्त अवैधानिक कृत्य करने से रोकने के लिये इसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि वाद में वर्णित कृषि भूमियां मुझ वादी की स्वतन्त्र खातेदारी की है और मैं वादी अपने खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर अपने परिवार सहित बिना किसी बाधा के निरन्तर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करता आ रहा हूं जिसमें प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार अथवा लेना देना नहीं है लेकिन प्रतिवादी जो झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो मुझ वादी के गरीब होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने आपराधिक सहयोगियों की मदद से मेरे कब्जे खाते की भूमि को प्रतिवादी अनाधिकृत व बलपूर्वक हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझ वादी को उक्त जमीन से बेदखल कर मुझ वादी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा हो रहा है और इसी उद्देश्य से मुझ वादी एवं मेरे परिजनों को मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने, उपयोग उपभोग करने में व्यवधान पैदा कर रहा हैं जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूंचावें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार की सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 01.06.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने मुझ वादी के खाते व कब्जे की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुआ, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:35 IST
Reason: SelfAttested

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतितवादी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वाद में वर्णित मुझ वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि का मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, किसी प्रकार की सामग्री डालकर अतिक्रमण नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने परिवारजन, नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें। विकल्प में निवेदन है कि यदि दौराने दावा प्रतिवादी मुझ वादी के खाते व कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करा लेवे अथवा पाया जावे तो पुनः प्रतिवादी के खर्चे से कब्जा/निर्माण हटवाया जाकर कब्जा मुझ वादी को दिलाया जाकर वाद दायरी दिनांक की स्थिति रखाई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 2029, 2052, 2489, 2585, 2615, 2616, 2617, 2721, 2729, 2730, 2760, 2761 किता 12 कुल रकबा 1.6511 हेक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि प्रतिवादी मेरी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से मुझे वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 2029, 2052, 2489, 2585, 2615, 2616, 2617, 2721, 27[illegible] किता 12 कुल रकबा 1.6511 हेक्टेयर के अनुसार वा[illegible] हैं। [illegible]र्डेड खातेदार के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:35 IST
Reason: SelfAttested

काश्त में प्रतिवादी को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी जबरन बेदखल कर देते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादीगण के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं साथ ही न्यायालय का यह भी अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का ही कब्जा हो, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो तो वादी कब्जा प्राप्त करने के लिए इस वाद के तहत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। इसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 2029, 2052, 2489, 2585, 2615, 2616, 2617, 2721, 2729, 2730, 2760, 2761 किता 12 कुल रकबा 1.6511 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

2. श्री गांगा पिता कना गाडरी निवासी लालावास पलानाखुर्द तहसील मावली।
.....वादी

बनाम्

2. श्री डालु पिता भेरा गाडरी निवासी लालावास पलानाखुर्द तहसील मावली।
.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 79/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/269

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पलानाखुर्द पटवार हल्का पलानाखुर्द तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 104 पर दर्ज आराजी नम्बर 2029, 2052, 2489, 2585, 2615, 2616, 2617, 2721, 2729, 2730, 2760, 2761 किता 12 कुल रकबा 1.6511 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी, वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, वादी को जबरन बेदखल नहीं करें, साथ ही यदि कब्जा प्रतिवादी का है तो वादी, प्रतिवादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। कब्जे सम्बन्धित अधिकार हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकते हैं। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:35 IST
Reason: SelfAttested